संख्या-14/2016/5205(1)/नौ-5-15-125बजट/2015टीसी

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सोनभद्र(सोनभद्र), नगीना (बिजनौर) तथा मऊनाथभंजन (मऊ)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत निकायों को द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निकायों को विभिन्न शासनादेशों द्वारा जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम/आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है। सन्दर्भित निकाय द्वारा प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में सूचीबद्ध प्रश्नगत निकाय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय/ आगामी किश्त के रूप में कुल **₹ 117.61 लाख (₹ एक करोड़ सत्रह लाख इक्सठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न बीएम-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त/ आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सोनभद्र	नगर पालिका परिषद्, सोनभद्र	517/नौ-5-14-151बजट/2013-18 दिनांक 01.03.2014	107.61	50.00	57.61
2	बिजनौर	नगर पालिका परिषद्, नगीना	241/2015/4025/नौ-5-15-45बजट /2015 दिनांक 16.07.2015	60.00	30.00	30.00
3	मऊ	नगर पालिका परिषद्, मऊनाथ भंजन	78/2015/1391/नौ-5-15-358बजट /2014-7 दिनांक 18.03.2015	60.00	30.00	30.00
			योग			**117.61**

(रू0 एक करोड़ सत्रह लाख इक्सठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **दिनांक 31 मार्च, 2016** तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बीएम-9 तथा एलॉटमेंट आर्डर।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-14/2016/5205(2)/नौ-5-15-125बजट/2015टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष: 2015–16 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–191–नगर निगमों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	250000	51234	11761	11761	238239
योग	250000	51234	11761	11761	238239

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	350000	361761	11761	11761	361761
योग	350000	361761	11761	11761	361761

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
   नगर निगमों में आंशिक जल निकासी की व्यवस्था है, इसलिए बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
   नगर पालिका के लिये केवल रू0 3500.00 लाख की बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो अपर्याप्त है। नगर पालिका परिषद के क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी कार्यो हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:– 276/ई–8–3175/दस–2015, दिनांक 18 जनवरी, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(**रंग बहादुर सिंह**)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(**सुभाष चन्द्र**)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या–5205/नौ–5–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
8– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-21/01/2016

प्रेषण संख्या:- 14

आवंटन आदेश संख्या:- 001-14-2016-5205-1-9-5-15-125B-2015TC

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 31139000	3000000 31139000
2	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
3	सोनभद्र-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5761000 5761000	5761000 5761000
	योग	वर्तमान प्रगामी	11761000 39900000	11761000 39900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्रह लाख इकसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ निन्यानवे लाख

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी